भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4248
20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राजस्थान में स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों में कमियां

4248. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सम्पूर्ण देश में निजी अस्पतालों की तुलना में सरकारी स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों/ अस्पतालों में सुविधाओं और अवसंरचना की कमी के संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा राजस्थान में, विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षण/अध्ययन में चिह्नित की गई कमियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का ऐसी कमियों को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई हैं;
(ग) विगत दस वर्षों के दौरान बाड़मेर-जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र में कंपनियों की सीएसआर निधि सहित भामाशाह योजना के माध्यम से सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों /अस्पतालों में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं, संसाधनों, चिकित्सकों और परिचर्या स्टाफ सहित कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और इन पर आज तक वर्षवार कितना व्यय किया गया है; और
(घ) बाड़मेर चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के संबंध में प्राप्त शिकायतों और उनके निवारण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): हेल्थ डाइनेमिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) (अवसंरचना और मानव संसाधन), 2022-23 एक वार्षिक प्रकाशन है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित है। राजस्थान सहित देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के कार्यकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और स्वास्थ्य जनशक्ति की स्थिति का विवरण एचडीआई 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:
https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसेवित और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एनएचएम के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करती है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) के माध्यम से एसएचसी और पीएचसी को सुदृढ़ करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। ये एएएम प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं, संक्रामक रोगों, गैर-संक्रामक रोगों और अन्य स्वास्थ्य मुद्दों को शामिल करते हुए सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए निवारक, प्रोत्साहन, पुनर्वास और उपचारात्मक देखभाल प्रदान करते हैं। एएएम पोर्टल में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 30.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार देश में कुल 1,75,338 एएएम संचालनरत हैं।

माननीय प्रधानमंत्री ने 64,180 करोड़ रुपये की राशि से प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) की शुरुआत की। पीएम-एबीएचआईएम के तहत किए जाने वाले उपायों का उद्देश्य प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट सभी स्तरों पर परिचर्या की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करना है, ताकि स्वास्थ्य प्रणालियों को वर्तमान और भविष्य की महामारियों/आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार किया जा सके।

पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है और इसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए ये अनुदान वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच साल की अवधि में परिव्याप्त होंगे और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण को सुकर बनाएंगे। राजस्थान सरकार के अनुसार, केयर्न वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड द्वारा सीएसआर के माध्यम से वर्ष 2015 से 03 डॉक्टर और 02 ओपीडी अटेंडेंट उपलब्ध कराए गए हैं।

(घ): राजस्थान राज्य के अनुसार, बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के निर्माण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

******